मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के बैकलाग (अ. जा. /अ.ज.जा.)

पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 05/2018, दिनांक 31.07.2018

पशु पालन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05.09.2018

ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम

विषय	तिथि एवं समय
ANIMAL HUSBANDARY AND VETERINARY SCIENCE	07.10.2018 दोपहर पश्चात 02.00 बजे से 04:00 बजे तक

महत्त्वपूर्ण

1- **पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पदों हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नानुसार है :-**

(1) विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।

(2) विधि के नियमों के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख (31.07.2018) से पूर्व पंजीकृत।

(3) पंजीयन स्थायी होना आवश्यक है। अस्थायी पंजीयन मान्य नहीं होगा |

1- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे | आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2018 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 05.09.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- **0731-2702689**

ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

2- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदन पत्रों में 10.08.2018 से 07.09.2018 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा ।

3- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ लिंग (महिला/पुरुष) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी का कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा ।

4- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु दिनांक 07.10.2018 को इंदौर स्थित निर्धारित केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा एक सत्र में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के तीन दिवस पूर्व www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध होंगें ।

5- ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा । विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert द्वारा प्रेषित की जाएंगी । अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे ।

6- **यह विज्ञापन मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम ,1966 तथा विभाग द्वारा प्रेषित मांग पत्र के अनुसार जारी किया जा रहा है |**

7- **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**

एक मध्य प्रदेश के मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अभ्यर्थियों से **पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश शासन**, हेतु निम्नलिखित बैकलाग पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

पद का नाम :- पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (Veterinary Assistant Surgeon) रिक्ति विवरण					
रिक्ति का स्वरूप	**कुल पद**	**रिक्तियों की वर्गवार संख्या**		**रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु आरक्षित पद**	
		अनु. जाति	**अनु. जनजाति**	**अनु. जाति**	**अनु. जनजाति**
बैकलाग रिक्तियां	188	43	145	14	48
विशेष टीप :-	उपरोक्त रिक्तियां **पशु पालन विभाग** द्वारा संधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार है तथा रिक्तियों में केवल बैकलाग पद सम्मिलित है।				

दो **पद का विवरण**

	पद का नाम	:	**पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (Veterinary Assistant Surgeon)**
	विभाग का नाम	:	पशु पालन विभाग, मध्य प्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।(उक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार है)
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	पशु चिकित्सा /पशु पालन तथा प्रसार सेवायें।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

(1) विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।

(2) विधि के नियमों के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख (31.07.2018) से पूर्व पंजीकृत।

(3) पंजीयन स्थायी होना आवश्यक है। अस्थायी पंजीयन मान्य नहीं होगा |

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद के कार्य स्वरूप को देखते हुये उक्त पद को दिव्यांगजन आरक्षण से छूट है |

(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।

(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित उक्त पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति रूप में मान्य है आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

JobSarkari.com

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जंन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्त्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: आयु सीमा: **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 45 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**
[40 वर्ष + 5 वर्ष (अनु. जाति एवं जनजाति हेतु देय छूट)]
शासन द्वारा निर्धारित 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के परिप्रेक्ष्य में उक्त पदों हेतु किसी भी श्रेणी को देय कोई भी अन्य छूट देय नहीं होगी ।

सात आयु संगणना तिथि :- 01.01.2019

आठ अधिवार्षिकी आयु :- **62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्नपत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

(3) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगें। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा ।

(5) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(6) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(7) चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूंछे गए प्रश्नों और उनके अंतिम (प्रावधिक) उत्तरों की कुंजी तैयार कर, आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in**, **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माड्यूल में ही स्वीकार की जाएगी। डाक अथवा अन्य किसी रीति से प्रस्तुत आपत्तियो को विचार मे नहीं लिया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा ।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

Jobsarkari.com

1. ऐसे प्रश्न जिनका अनंतिम(प्रावधिक) कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. ऐसे प्रश्न जिनका दिये गए विकल्पों में सही उत्तर न हो को विलोपित किया जाएगा।
3. यदि विशेषज्ञ समिति की राय में किसी प्रश्न के दिये गए विकल्प उत्तरों में एक से अधिक सही उत्तर हैं तो उन प्रश्नों हेतु ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगें जिन्होंने सही विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प को चुना है।
4. अभ्यर्थियों द्वारा अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुत आपत्तियों के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम रहेगा।

समिति द्वारा विचारोपरांत अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर उसके आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

दस ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड	शहर
01	इंदौर

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

ग्यारह **प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :-** ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि (07.10.2018)के तीन दिवस पूर्व से आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगें । अर्हताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त वेबसाइट्स से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगें। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।

फोटो पहचान-पत्र :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

1	पासपोर्ट	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5	आधार कार्ड		(केवल आधार कार्ड की फ़ोटोकापी मान्य होगी)

बारह **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -1 का अवलोकन करें।

तेरह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

चौदह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -1

(ii) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश परिशिष्ट -2

(iii) ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3

सचिव

Jobsarkari.com

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mppsc.com
2. www.mppsc.nic.in
3. www.mppscdemo.in

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **10.08.2018** से **07.09.2018** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति), लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु
₹ 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही अभ्यर्थी को वापस किया जायेगा :-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये; अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि <u>05.09.2018</u> है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- 0731-2702689

ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां/ उपाधि।

<u>स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र :-</u> मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में विज्ञापन जारी होने की तिथि के पूर्व स्थायी पंजीयन का प्रमाण-पत्र।

<u>शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-</u> यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

<u>जाति के प्रमाण-पत्र :-</u> अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने हेतु अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **<u>विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।</u>**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

JobSarkari.com

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हतायें:-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता

स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के केवल उन अभ्यर्थियों को जो कहीं नियोजित नहीं है को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(स) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति एवं आधार कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(द) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

JobSarkari.com

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर-	0731-2702689
ई-मेल-	mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वेबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जावेगा ।

08 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व तलाशी (फ्रिस्किंग) ली जावेगी जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यत: ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/ हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैण्डल पहनकर आ सकते है। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालो को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

09 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।

9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

10 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

11 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

12 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

13 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

14 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

15 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

16 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

17 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीध्र कार्यवाही की जा सके ।

18 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

19 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

20 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

21 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

22 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

23 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया

24 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

25 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;

इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति |
- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति |
- बैंक पासबुक के मुख्य **पृष्ट** जिसमे खाता क्रमांक ,बैंक का नाम एवं IFSC कोड अंकित हो, की स्वप्रमाणित प्रति |
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो |

26 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

27 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

28 ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूंछे गए प्रश्नों और उनके अंतिम (प्रावधिक) उत्तरों की कुंजी तैयार कर, आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in**, **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माड्यूल में ही स्वीकार की जाएगी। डाक अथवा अन्य किसी रीति से प्रस्तुत आपत्तियो को विचार मे नहीं लिया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा | आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा । किन्तु बैंक द्वारा लिया गया सेवा शुल्क वापस नहीं होगा |

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- ऐसे प्रश्न जिनका अनंतिम(प्रावधिक) कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
- ऐसे प्रश्न जिनका दिये गए विकल्पों में सही उत्तर न हो को विलोपित किया जाएगा।
- यदि विशेषज्ञ समिति की राय में किसी प्रश्न के दिये गए विकल्प उत्तरों में एक से अधिक सही उत्तर हैं तो उन प्रश्नों हेतु ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने सही विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प को चुना है।
- अभ्यर्थियों द्वारा अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुत आपत्तियों के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम रहेगा।

समिति द्वारा विचारोपरांत अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in**, **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर उसके आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

29 उक्त परीक्षा से संबन्धित अभिलेखों का विनष्टीकरण आयोग द्वारा अभिनिर्धारित समय सीमा में किया जाएगा।

Jobsarkari.com

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा 2018

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

(01) परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना

ऑनलाइन परीक्षा	पूर्णांक	अवधि
ANIMAL HUSBANDARY AND VETERINARY SCIENCE	**300**	**2 घंटे**
साक्षात्कार	**35**	
कुल अंक	**335**	

(ब) प्रश्नपत्र योजना

(1) प्रश्न-पत्र में 2-2 अंक के कुल 150 प्रश्न होंगें । पाठ्यक्रम के भाग-1 से 75 प्रश्न तथा भाग-2 से 75 प्रश्न पूछे जायेंगें। इस प्रकार ऑनलाइन परीक्षा के कुल अंक 300 होंगें।

(2) प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (**A,B,C,D**) होंगें। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होगा।

(3) प्रश्न-पत्र केवल अँग्रेजी भाषा में होगा। ।

(स) चयन प्रक्रिया

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्नपत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

(3) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगें।

(4) साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(5) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर /SMS/ आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा ।

(6) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(7) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर / लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

Jobsarkari.com

ANIMAL HUSBANDARY AND VETERINARY SCIENCE

PART- I

1. Animal Nutrition

Metabolism of carbohydrates, proteins and fats, its requirements for maintenance, growth and production of milk, meat , pork, eggs and wool.

Mineral and trace elements, its metabolism, source and role of minerals and trace elements, their requirements for growth and production and deficiency syndromes.

Vitamins, their sources, requirements, role in metabolism and deficiency syndromes.

Feeding standards and measures of feed energy. Limitations of different feeding systems.

Feeding practices in livestock in normal and drought conditions.

Feed additives in the ration of livestock and poultry: antibiotics and hormonal compounds and other growth stimulators their uses and abuse.

Preservation of feed.

Feeding infants and growing animals. Importance of colostrums.

Feeding and care of expectant and nursing mothers.

2. Genetics and Animal Breeding

Breeds of livestock and poultry, specially Indigenous and Exotic breeds.

Mendelian principles gene and genotype frequency. Inheritance of quantitative traits. Causal components of variation. Heritability, repeatability estimation of additive, non additive and environmental variance. Genetic and environmental correlations.

Mating systems, inbreeding, out breeding . Measurement of inbreeding, Aids to selection, Methods of selection genetic gain, correlated response to selection, Reciprocal Recurrent selection, Hybridization . Choice of effective breeding plan. Field progeny testing. Application of biotechnology in genetic improvement of livestock. Conservation of animal genetic resources. Importance of breeding record in livestock and poultry.

Application of computer for statistical analysis of data obtained from livestock farms, Veterinary hospitals and epidemiological studies.

3. Livestock Production and Management

Comparison of dairy farming in India with advanced countries. Dairying under mixed farming and as a specialized farming, economic dairy farming, starting of a dairy farm. Capital and land requirement of organized dairy farm. Procurement of goods, opportunities

in dairy farming, factors determining the efficiency fo dairy animal. Herd recording, budgeting, cost of milk production.

Pricing policy: Personnel management.

Wild and zoo animal management .

Management of pack animals.

Management of laboratory animal & fish production.

4. Poultry:

Breeding and rearing practices used for poultry Care and management of growing layer/broiler birds of both breeders and commercial categories of poultry.

Battery cage management.

Poultry Feeding, Litter management, water Management in poultry.

Economics of layer and broiler production, hatchery Management including principles of incubation, sanitation hatchery hygiene.

Factors affecting fertility and hatchability.

Biosecurity in poultry farm and hatchery.

5. Milk Technology

Organization of rural milk procurement, collection and transport of raw milk. Quality testing and grading raw milk. Grades of whole milk, skimmed milk and cream.

Defects in processing, packing, storing, distribution and marketing of milk and milk products and their remedial measures.

Nutritive properties of pasteurized, standardized, toned, double toned, sterilized, homogenized, reconstituted, recombined and flavored milk.

Preparation of cultured milks, Cultures and their management. vitamin D, acidified and other special milks, Legal standards and sanitation requirements for clean and safe milk and for the milk plant equipments.

Methods of preparation of butter, ghee, khoa, lassi, curd, ice cream and cheese.

6.Hygiene

Veterinary Hygiene with respect to water, air and habitation.

Duties and role of Veterinarians in a slaughter house to provide meat that is produced under ideal hygienic conditions.

By- products from slaughter house and their economic utilization.

Jobsarkari.com

Methods of collection. preservation and processing of hormonal glands for medicinal use.

Sanitation of animal houses. Source of air pollution in animal houses and its effect on animal health and production.

7. Extension

Extension Education : evolution of extension education in India: classification of extension, teaching methods, audio- visual aids and their classification.

Role of animal in the economy , health, socio-psychology of rural, semi urban and urban society (role of farm stock, companion animal, sports animals etc.)

Different methods adopted to educate farmers under rural conditions.

Utilization of fallen animals for profit extension education, etc.

Cross breeding as a method of upgrading the local cattle.

ANIMAL HUSBANDARY AND VETERINARY SCIENCE

PART-II

1. Anatomy

Anatomy of ox and fowl.

Histological technique freezing, paraffin embedding etc.

Common histological stain. Preparation and staining of blood films.

Mammalian Histology .

Structure and function of cell and cytoplasmic constituents: Structure of nucleus, plasma membrane, mitochondria, golgi bodies, endoplasmic reticulum and ribosome's.

Cell division: Mitosis and Meiosis.

Systemic embryology- stage wise study of embryo/fetus of chicks, cattle, buffalo, sheep, goat and cat.

2. Physiology

Prenatal and post natal growth.

Hormonal control of development of udder and milk.

Environmental factors affecting reproduction in males and females.

Methods of ameliorating environmental stress.

Jobsarkari.com

Physiological relations and their regulations: mechanism of adaptation, environmental factors and regulatory mechanisms involved in animal behavior. Methods of controlling climatic stress. Physiology of circulation, respiration, excretion, digestion and reproduction. Shock, its mechanism, classification of shock. Fluid and electrolytes balance. Hypoxia, role of respiration in acid base mechanism. Respiration in poultry.

3. Animal Biotechnology

Recombinant DNA technology. Embryo biotechniques. Marker assisted selection Nutritional biotechnology including bio conversion of lignocelluloses, genetic manipulation of microbes for improved feed utilization and health.

Molecular diagnosis including PCR and DNA probes.

New generation vaccines.

4. Pharmacology

Pharmacology of drugs acting on gastrointestinal, cardio-vascular, urinary, respiratory, nervous, genital systems and endocrines, Therapeutic agents against bacteria, protozoa fungi, parasites and insects, including their mechanism of action.

Common toxic compounds and plants their effects and treatment.

Use of anticancer agent in animals, pharmacological and therapeutic efficacy of indigenous drugs.

5. Diseases

Common livestock and poultry diseases caused by bacteria, fungi, protozoa, viruses and parasites pertaining to their causal agents, epidemiology, symptoms diagnostic methods, treatment and prevention. Important zoonotic diseases. Toxicity caused by agrochemicals and environmental toxicity. Methods of collection and dispatch of material for laboratory diagnosis.

Principles of immunity and immunization.

Principles of epidemiology, public health aspects of food products of animal origin (meat, egg, milk and fish) their inspection and marketing.

6. Veterinary Gynecology and Obstetrics:

Abnormalities of reproductive tracts in domestic animals.

Delayed puberty and sexual maturity, Estrous detection and pregnancy diagnostics.

Infertility, sterility and repeat breeding: causes and therapeutic management.

Jobsarkari.com

Dystocia: Types of dystocia, maternal and foetal approach diagnosis and treatment. Postpartum diseases and complications.

7. Veterinary Andrology and Reproductive Techniques:

Factors causing infertility in male its diagnosis and treatment.

Diseases of male genitalia and coital injuries their diagnosis and treatment.

Artificial Insemination- methods of semen collection. Factors affecting quality and quantity of semen, macroscopic, microscopic, biochemical and biological tests for evaluation of semen.

Extenders used for semen preservation. Preservation of semen at different temperature techniques of it.

8. Surgery

Anesthesia in animals.

Common surgical affections of different systems of the body.

Diseases of locomotion system with special reference to soundness, health identification.

Principles of radiology.

Electrotherapy in veterinary practice.

Familiarization with fluoroscopic examination and ultra- sonography

9. Jurisprudence

Jurisprudence in veterinary practice.

Common offences towards animals. Common adulteration practices regarding milk and milk products and meat and their detection.

Laws relating to offences affecting public health.

Laws relating to adulteration of drugs.

Evidence procedure in court.

Legal duties of veterinarian.

Code of conduct and ethics for veterinarian.

Post mortem and Medico-legal examinations.

Jobsarkari.com